RESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Friday 30th January 2015, Page: 19
Width: 18.75 cms, Height: 10.24 cms, a4r, Ref: pmin.2015-01-30.32.199

फार्मूला : बांग्लादेश में सरकारी सप्लाई की दवाओं पर होता है अलग कलर कोड

दवाओं की कालाबाजारी रोकना बांग्लादेश से सीखें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए अपनाए फार्मूले की कामयाबी के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। बांग्लादेश में सरकारी दवाओं पर विशेष कलर कोडिंग की जाती है, जिससे खुले बाजार में उसकी बिक्री नहीं की जा सकती।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के नेतृत्व में बांग्लादेश के स्वास्थ्य ढांचे में दवाओं की स्थिति पर वर्ष 2010 में तैयार की गई रिपोर्ट में पहली बार सिफारिश की गई थी कि वहां सरकारी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए इनकी विशेष रंग की पैकिंग की जाए। वहां सभी सरकारी जरूरत की 70 फीसदी दवाएं एसेंसियल ड्रग कंपनी लिमिटेड (ईडीसीएल) खरीदती है और 25 फीसदी सेंट्रल मेडिकल स्टोर डिपो (सीएमएसडी)। सिर्फ पांच फीसद दवा स्थानीय स्तर पर खरीदी जाती है। ऐसे में वहां की सरकार ने इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों के लिए कलर कोडिंग अनिवार्य की हुई है।

भारत में सरकारी दवाओं के खुले बाजार में दुकानों पर पहुंच जाना आम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह तभी संभव हो सकता है, जब दवाओं की खरीद केंद्रीय स्तर पर हो। पिछली सरकार के दौरान केंद्रीय चिकित्सा सेवा समिति (सीएमएसएस) का गठन कर इसके जरिये देशभर में मुफ्त दवा के वितरण की बेहद महत्वाकांक्षी योजना तैयारी की गई थी। यह दवा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा सकती थी। मगर यह योजना अब तक परवान नहीं चढ़ पाई है। वे कहते हैं कि हमारे यहां दवा की सबसे अधिक खरीद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत होती है। इसके तहत यह काम राज्य स्तर पर ही होता है। अभी बहुत सी एजेंसियों की ओर से हो रही खरीद में दवाओं पर यह छपा होता है कि वह सामान्य बाजार में बिक्री के लिए नहीं है। इसके बावजूद ना तो खरीदने वाले उससे परहेज करते हैं और ना ही राज्य सरकार की एजेंसियां उन पर कार्रवाई में कोई दिलचस्पी लेती हैं।

2

Regulation